



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082021-229298
CG-DL-E-29082021-229298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]
No. 486]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 29, 2021/भाद्र 7, 1943
NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 29, 2021/BHADRA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2021

सं. 32/2021-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 598(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-
 - नियम 26 के उपनियम (1) में,-

(क) चौथे परंतुक में, “31 अगस्त, 2021” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “31 अक्तूबर, 2021” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) 1 नवंबर, 2021 से सभी परंतुकों का लोप किया जाएगा;

(ii) 1 मई, 2021 से, नियम 138ड में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।”;

(iii) प्ररूप जीएसटी एसएमटी-14 में,-

(क) “आपका रजिस्ट्रीकरण” शब्दों के पश्चात्, “आदेश प्रतिनिर्देश सं., तारीख द्वारा,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) अंत में, “पदनाम” के पश्चात्, “पता” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 517(अ), तारीख 30 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2021-केंद्रीय कर, तारीख 30 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2021

No. 32/2021 – Central Tax

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in sub-rule (1) of rule 26, -

(a) in the fourth proviso, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, the figures, letters and words “31st day of October, 2021” shall be substituted;

(b) with effect from the 1st day of November, 2021, all the provisos shall be omitted;

(ii) with effect from the 1st day of May, 2021, in rule 138E, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the said restriction shall not apply during the period from the 1st day of May, 2021 till the 18th day of August, 2021, in case where the return in **FORM GSTR-3B** or the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or the statement in **FORM GST CMP-08**, as the case may be, has not been furnished for the period March, 2021 to May, 2021.”;

(iii) in **FORM GST ASMT-14**, -

(a) after the words, “with effect from -----”, the words, “vide Order Reference No. -----, dated -----” shall be inserted;

(b) the words, “for conducting business without registration despite being liable for registration” shall be omitted;

(c) at the end after “Designation”, the word “Address” shall be inserted.

[F. No. CBIC-20006/24/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 30/2021 - Central Tax, dated the 30th July, 2021 *vide* number G.S.R. 517 (E), dated the 30th July, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2021

सं. 33/2021- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 599(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, “अगस्त, 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, “नवंबर, 2021 के 30 वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 19/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 जून 2021, जिसे सा.का.नि. 363 (अ), दिनांक 01 जून 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2021

No. 33/2021 – Central Tax

G.S.R. 599(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018– Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely:—

In the said notification, in the ninth and tenth provisos, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, where ever they occur, the figures, letters and words “30th day of November, 2021” shall be substituted.

[F. No. CBIC-20006/24/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 19/2021 – Central Tax, dated the 1st June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 363(E), dated the 1st June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2021

सं. 34/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 600(अ).—भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केन्द्रीय कर तारीख 3 अप्रैल, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 235(अ) तारीख 3 अप्रैल, 2020 और सं.14/2021-केन्द्रीय कर तारीख 1 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 310(अ) तारीख 1 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयवधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2021

No. 34/2021 – Central Tax

G.S.R. 600(E).—In partial modification of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021, in exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that where a registration has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act and the time-limit for making an application of revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day of March, 2020 to 31st day of August, 2021, the time-limit for making such application shall be extended up to the 30th day of September, 2021.

[F. No. CBIC-20006/24/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.